

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 मई 2016—वैशाख 21, शक 1938

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक एफ 1(बी)06/2014/50-1 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाये हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन महिला सशक्तिकरण संचालनालय में समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों की संविदा भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- नियम -

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग (समेकित बाल संरक्षण योजना) संविदा भर्ती (नियोजन एवं शर्तें) नियम, 2015" है।

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.परिभाषाएँ:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर या ऐसा अन्य प्राधिकारी जो सेवा में नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाय,

(ख) "संविदा भर्ती" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर भर्ती,

(ग) "संविदा सेवा" से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथा अभिकथित संविदा सेवा,

- (घ) "विभाग" से अभिप्रेत है महिला एवं बाल विकास विभाग,
- (ड.) "पात्रता" से अभिप्रेत है अनुसूची - तीन में के पदों की पात्रता,
- (च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार,
- (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक -एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,
- (झ) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ञ) "अनुसूचित जन जाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, अथवा जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के, भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य,
- (ठ) "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के लिये सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है,

3. विस्तार तथा लागू होना:- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण संचालनालय के अधीन समेकित बाल संरक्षण योजना में भर्ती किये गए प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान- सेवा का वर्गीकरण उससे संलग्न संविदा वेतन तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची - एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थाई या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

5. भर्ती का तरीका:- (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित दो तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-

(क) सीधी भर्ती द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा;

(ख) निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंको एवं अनुभव की मेरिट अनुसार।

(2) कर्मचारियों की संख्या तथा प्रतिशत किसी भी समय अनुसूची - एक में उल्लिखित पद संख्या के साथ अनुसूची - दो में बताये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें :- परीक्षा या चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:-

(1) आयु:-

(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो,

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हों अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व की गई रक्षा सेवा की समस्त अवधि कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी वशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण-1 शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति-रियायतों के अधीन सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दोबारा नामांकित किया गया हो, और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबन्ध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन सम्बंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है,

(पाँच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

(छह) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहे,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिये गये हो।

स्पष्टीकरण-2 जिन उम्मीदवारों को नियम -6 में उपर्युक्त उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत परीक्षा /चयन के लिये पात्र माना गया है यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे दे तो वह नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा

अथवा पद से छंटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी।

(क) निशक्तजनों के लिये आरक्षण की व्यवस्था समस्तर (हॉरिजॉटल) और प्रवर्गवार (कम्पार्टमेंट-वाईज) रहेगी,

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरुस्कृत सवर्ण पति-पत्नि के मामले में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(घ) विक्रम पुरस्कार धारकों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ङ.) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयुसीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में आयुसीमा 3 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) उच्चतर आयु सीमा का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र ई-3-11/12/1/3 दिनांक 03.11.2012 एवं 20.11.2012 के अनुसार होगा,

(ज) किसी भी प्रवर्ग के लिये किसी भी स्थिति में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं:-** अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।

निरर्हताएं :-

(1) किसी भी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये निरर्हित ठहरा सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विहित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे पुरुष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसके पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव में 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निर्हरित नहीं होगा।

(5) कोई भी अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, यदि उसे शासन के किसी अधिकारी से कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया है।

(6) ऐसे अभ्यर्थी जिसे महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उनकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

(7) किसी अभ्यर्थी को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी मानसिक व शारीरिक स्वस्थता के बारे में, राज्य सरकार के ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो सिविल सर्जन से कम श्रेणी का न हो, जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(8) फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना दस्तावेजों में फेरबदल करना/ चयन के स्तर पर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना उसकी निरर्हता की श्रेणी में आयेगा।

8 चयन सूची :- प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (PEB) अथवा चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम से एक सूची तैयार करेगी। यह चयन सूची प्रत्येक प्रवर्ग के लिये पृथक-पृथक तैयार की जायेगी। प्रावीण्य सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति की पात्रता तब तक नहीं होती है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके अभिलेखों से संतुष्ट न हो जाये। चयन सूची उसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी।

9. प्रतीक्षा सूची:- प्रत्येक पद के लिये चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी श्रेणीवार प्रकाशित की जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची चयन सूची के प्रकाशन के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी।

10.नियुक्ति की समय-सीमा :- यह संविदा नियुक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी। कार्य के मूल्यांकन के उपरांत उसे एक वर्ष की कालावधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा। उक्त संविदा नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए होगी।

11. संविदा की कालावधि के दौरान अनुशासन एवं नियंत्रण:— उक्त नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा।
12. कदाचार या किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर कार्यवाही:— किन्ही आपराधिक गतिविधियों या कदाचार के लिये, नियुक्ति प्राधिकारी को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति होगी।
13. नियंत्रणकर्ता अधिकारी:— संविदा कर्मचारी संबंधित इकाई के प्रमुख के माध्यम से आयुक्त, प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा।
14. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
15. व्यावृत्ति:— इन नियमों में कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

अनुसूची - एक

अनुक्रमांक	पद	पदों की संख्या	वर्गीकरण	मानदेय (प्रतिमाह)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कार्यक्रम प्रबंधक	3	संविदा	35,000	
2	कार्यक्रम अधिकारी	5	संविदा	26,250	
3	लेखाधिकारी	1	संविदा	17,500	
4	कार्यक्रम सहायक	1	संविदा	10,000	
5	लेखा सहायक	1	संविदा	10,000	
6	लेखाकार	1	संविदा	14,000	
7	सहायक/ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	4	संविदा	9,000	
8	संरक्षण अधिकारी संस्थानिक देखभाल	51	संविदा	21,000	

9	संरक्षण अधिकारी गैर संस्थानिक देखभाल	51	संविदा	21,000	
10	विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी	51	संविदा	21,000	
11	परामर्शदाता	81	संविदा	14,000	
12	सामाजिक कार्यकर्ता	101	संविदा	14,000	
13	लेखाकार	51	संविदा	14,000	
14	आंकड़ा विश्लेषक	51	संविदा	14,000	
15	सहायक-सह-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	153	संविदा	9,000	
16	आउटरीच कार्यकर्ता	100	संविदा	8,000	

अनुसूची - दो

विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा (संविदा पर)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
महिला एवं बाल विकास विभाग	कार्यक्रम प्रबंधक	3	100 प्रतिशत	
	कार्यक्रम अधिकारी	5	तदैव	
	लेखाधिकारी	1	तदैव	
	कार्यक्रम सहायक	1	तदैव	
	लेखा सहायक	1	तदैव	
	लेखाकार	1	तदैव	
	सहायक / डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	4	तदैव	
	संरक्षण अधिकारी, संस्थानिक देखभाल	51	तदैव	
	संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थानिक देखभाल	51	तदैव	
	विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी	51	तदैव	
	परामर्शदाता	51	तदैव	
	सामाजिक कार्यकर्ता	101	तदैव	50 प्रतिशत पद सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं के लिए आरक्षित
	लेखाकार	51	तदैव	
	आंकड़ा विश्लेषक	51	तदैव	
सहायक-सह-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	153	तदैव		
आउटरीच कार्यकर्ता	100	तदैव		

अनुसूची - तीन

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
महिला एवं बाल विकास	कार्यक्रम प्रबंधक	21	40	<p>कार्यक्रम प्रबंधक (सारा)-</p> <ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/समाजकार्य अथवा समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में दो वर्ष का बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य अनुभव। <p>कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशिक्षण, आई.ई.सी. तथा प्रचार-प्रसार एवं एम.आई.एस)-</p> <ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस अथवा समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। राज्यस्तर के शासकीय कार्यालय में 02 वर्ष का कार्य अनुभव। <p>कार्यक्रम प्रबंधक (बाल संरक्षण)-</p> <ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/समाजकार्य अथवा समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में दो वर्ष का बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य अनुभव। 	<ul style="list-style-type: none"> संविदा भर्ती हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (PEB) के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी अथवा निम्नानुसार चयन समिति द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको एवं अनुभव की मेरिट अनुसार चयन किए जाने पर :- आयुक्त, महिला सशक्तिकरण उप सचिव/अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास, संयुक्त संचालक/उपसंचालक, स्थापना वित्त सलाहकार आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि-उपरोक्त में न होने पर
	कार्यक्रम अधिकारी	21	40	<p>कार्यक्रम अधिकारी सारा-</p> <ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाजकार्य अथवा समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में दो वर्ष का बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य अनुभव। 	

		21	40	<p>/संस्था में एक वर्ष का दत्तक ग्रहण का कार्य अनुभव।</p> <p>कार्यक्रम अधिकारी एम.आई.एस</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. सी.ए./एम.एस.सी.-कम्प्यूटर साईंस अथवा समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। ● कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। ● राज्यस्तर के शासकीय कार्यालय में 01 वर्ष का कार्य अनुभव। <p>कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। ● कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। <p>कार्यक्रम अधिकारी (आई.ई.सी तथा प्रचार-प्रसार)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। ● मीडिया एवं पब्लिसिटी में डिप्लोमा। ● मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। <p>कार्यक्रम अधिकारी जे.सी.एल-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि विषय में स्नातक। ● कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। ● राज्यस्तर के शासकीय कार्यालय में 01 वर्ष का कार्य अनुभव। 	
	लेखाधिकारी	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर	
	कार्यक्रम सहायक	21	40	<p>कार्यक्रम सहायक (बाल संरक्षण)-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक उपाधि। ● मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। 	

लेखा सहायक	21	40	<ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा, कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। 	
लेखाकार	21	40	<ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान। 	
सहायक / डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18	40	<p>हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से बारहवीं</p> <p>निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है—</p> <ul style="list-style-type: none"> यू.जी.सी.द्वारा मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा यू.जी.सी.द्वारा मान्य प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा डी.ओ.ई., ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। <p>शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण।</p>	
संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखभाल)	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाजकार्य अथवा मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।	<ul style="list-style-type: none"> संविदा नियुक्ति हेतु चयन मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (PEB) के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी <p>अथवा</p> <ul style="list-style-type: none"> निम्नानुसार चयन समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको एवं अनुभव की मेरिट अनुसार चयन किए जाने पर :- जिला कलेक्टर
संरक्षण अधिकारी (गैरसंस्थानिक देखभाल)	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/ समाजकार्य अथवा मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।	
विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी)	
परामर्शदाता	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाजकार्य अथवा मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।	
सामाजिक कार्यकर्ता	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाजकार्य अथवा मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।	

	लेखाकार	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ● जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ● कोषालय अधिकारी / लेखाधिकारी ● आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि—उपरोक्त में न होने पर
	आंकड़ा विश्लेषक	21	40	<p>1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक</p> <p>2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यू.जी.सी. द्वारा मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ● यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ● डी.ओ.ई., ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ● शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। <p>3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण।</p>	
	सहायक—सह— डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18	40	<p>1. हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से बारहवीं</p> <p>2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यू.जी.सी. द्वारा मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ● यू.जी.सी. द्वारा मान्य प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ● डी.ओ.ई., ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ● शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। <p>3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण</p>	
	आउटरीच कार्यकर्ता	18	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	तद्वै

भोपाल, दिनांक 11 मई 2016

क्र. 1 (बी)-06-2014-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ क्र. 1 (बी)-06-2014-पचास-1, दिनांक 11 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 11th May 2016

No. F1 (b)-06-2014-L-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of members of certain categories the Madhya Pradesh Women and Child Development Department (ICPS) Services, namely :-

Rules

Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Women and Child Development (Integrated Child Protection Scheme) Contract Services (Recruitment) Rules, 2015.
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority" in respect of service means Head of the department, district Collector or any such other Authority, as may be authorized for appointment in the service;
- (b) "contractual recruitment" recruitment on contractual basis under these rules;
- (c) "contract service" means contractual service as stated in these rules;
- (d) "Department" means the Woman and Child Development Department;
- (e) "eligibility" means eligibility of posts as in Schedule -III;
- (f) "Government" means, the Government of Madhya Pradesh;
- (g) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No F8-5XXV-4-84, dated 26 December, 1984 as amended from time to time;
- (h) "Reservation" means the reservation provided in the Madhya

Pradesh civil services (reservation for scheduled castes scheduled tribes and other backward classes) act 1994 and Madhya Pradesh civil services (special clauses for the appointment for women) rules 1997;

- (i) "Schedule" means the schedule appended to these rules;
- (j) "Scheduled castes" means any caste, race or tribe of part of or group within caste race or tribe specified as schedule caste with respect to the state of Madhya Pradesh under article 341 of the constitution of India. ,
- (k) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community part of or group within tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the state of Madhya Pradesh under article 342 of the constitution of India;
- (l) "State" means State of Madhya Pradesh;
- (m) "Year of recruitment" means; a period of twelve months that starts with first of January of the year, in which process of direct recruitment for any vacancy starts.

3. Scope and Application.-

Without prejudice to the generality of the provisions, these rules shall be applied on each and every member recruited in integrated child protection scheme under directorate of women empowerment, women and child development department.

4. Classification Scale of Pay.-

The classification of the service, the scales of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-1:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either in a permanent basis or temporary basis.

5. Method of Recruitment.-

- (1) Recruitment to the service after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
 - (a) By direct recruitment or by competitive Examinations;

- (b) According to the merit in educational qualification and experience.
- (2) Number of employees and percentage shall not exceed from the percentages as specified in Schedule-1 and Schedule -II.

6. Conditions of eligibility of direct recruitment.-

In order to be eligible for competition/examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age

- (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/ selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to the Scheduled Castes, Schedule Tribes or Other Backward Classes.
- (c) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - 1

The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (i) Ex-Serviceman released under mustering out concessions
- (ii) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on-
- (a) Completion of short-term Engagement.
- (b) Fulfilling the conditions of enrolment.
- (iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit

- (iv) Officers (Military and Civil), discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers)
- (v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies
- (vi) Ex-Serviceman invalidated out of service.
- (vii) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers
- (viii) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.

Explanation - 2

Candidates who are considered eligible for examination/selection under the age concessions mentioned in rule 6, shall be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the examination/ selection. They shall however continue to be eligible if they retrenched from service or post after submitting the applications. In no other case shall these age limits be relaxed, except-

- (a) if a candidate has more than one ground for age relaxation than she/he shall be entitled to get relaxation in age of such category that gives maximum age relaxation.
- (b) provisions of reservation for disabled person shall be horizontal and compartment wise.
- (c) the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 2 years in respect of those candidates who are green card holders under the Family Welfare programme.
- (d) the upper age limit shall be relaxable 5 years in respect of an awarded superior caste partner of a couple under the inter caste marriage incentive programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes Welfare Department's circular No.c-3-10-85-3-1.
- (e) the upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of "Vikram Award" holders.
- (f) the general upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years to a woman candidate in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for appointment of women) Rule 1997.

- (g) the upper age limit shall be releaxable up to five years in respect of widow, destitute and divorced woman candidates.
- (h) upper age shall be decided as per the circular e-3-11/12/1/3 dated 3-11-12 and 20-11-12 of general administration department.
- (i) the age upper age limit shall not exceed 45 years of age under any circumstances for any category.

(2) Educational Qualifications.-

A candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule-III

7. Disqualifications.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- (2) In accordance with the provisions of the rule 5 of the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules 1961 no candidate shall be eligible for appointment to a service for post, who has married before the minimum age fixed (21 years for male and 18 years for female) for marriage.
- (3) No candidate who has married to a person who has a living wife/husband shall be eligible.
- (4) No Candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

- (5) No candidate shall be appointed for service/post if he has been terminated because of misconduct with respect of any officer of Government. If he has been convicted on the moral grounds.
- (6) No Candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women. Provided

that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.

- (7) No person shall be appointed until he presents a medical certificate regarding his mentally and physically fitness by the medical officer, not below the rank of civil surgeon of State Government.
- (8) Producing fake documents /Manipulation in documents, or hiding any important information at the level of selection will be a disqualification

8. Selection list.-

Selection committee will prepare a list of candidates in the order of merit. This selection list will be prepared separately for each category merely name in merit list does not arise any right for appointment, until appointing officer is satisfied with records. The selection list will be valid for a period of one year from the date of publication of the selection list.

9. Waiting list.-

A waiting list for each post shall also be published category wise with selection list. This waiting list shall be valid for a period of one year after publication of selection list.

10. Time limit of appointment.-

This contractual appointment shall be for a period of 2 years. After the evaluation of work it could be renewed for a period of one year. This contractual appointment shall be for a maximum period of 5 years.

11. Control and discipline during contractual period.-

Every person appointed under said rule will be governed by the Madhya Pradesh Civil Services Rules, 1965.

12. Action on misconduct or indulging in any criminal activities.-

For any criminal activities or misconduct, appointing authority shall have powers to terminate his contractual appointment after giving a reasonable opportunity of being heard.

13. Controlling officer.-

Contractual employee shall be under administrative control of commissioner through head of concerned unit.

14. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

15. Saving.-

Nothing in these rules shall effect reservations and other conditions provided to be required for the Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

By Order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh
RAVINDRA SINGH, Dy Secy.

SCHEDULE-I					
S.No.	Post	No. of Posts	Classification	Honorarium (per month)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
STATE LEVEL					
1	Program Manager	3	Contract	35000	
2	Program Officer	5	Contract	26250	
3	Accounts Officer	1	Contract	17500	
4	Program Assistant	1	Contract	10000	
5	Account Assistant	1	Contract	10000	
6	Accountant	1	Contract	14000	
7	Assistant/ Data Entry Operator	4	Contract	9000	

DISTRICT LEVEL					
8	Protection Officer Institutional care	51	Contract	21000	
9	Protection Officer non Institutional care	51	Contract	21000	
10	Legal-cum-Probation Officer	51	Contract	21000	
11	Counselor	51	Contract	14000	
12	Social Worker	101	Contract	14000	
13	Accountant	51	Contract	14000	
14	Data Analyst	51	Contract	14000	
15	Assistant-cum- Data Entry Operator	153	Contract	9000	
16	Outreach Worker	100	Contract	8000	

SCHEDULE-II				
Name of Department	Post	No. of Posts	By direct recruitment (on contract)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Women and Child Development	Program Manager	3	100%	
	Program Officer	5	100%	
	Account Officer	1	100%	
	Program Assistant	1	100%	
	Account Assistant	1	100%	
	Accountant	1	100%	
	Assistant/ Data Entry Operator	4	100%	
	Protection Officer Institutional care	51	100%	
	Protection Officer non Institutional care	51	100%	
	Legal-cum-Probation Officer	51	100%	
	Counselor	51	100%	
	Social Worker	101	100%	50% post of social worker reserved for women
	Accountant	51	100%	
	Data Analyst	51	100%	
	Assistant-cum-Data Entry Operator	153	100%	
Outreach Worker	100	100%		

SCHEDULE-III					
Name of Department	Post	Minimum age	Maximum age	Educational Eligibility and experience	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Women and Child Development	Program Manager	21	40	<p>Program Manager (SARA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master degree in Sociology / Social work or in equivalent subject from a recognized university • Computer diploma from government recognized institute and typing knowledge in Hindi and English. • Two years working experience in field of adoption in a government recognized adoption agency / institution. <p>Program Manager (Training, IEC and advocacy & MIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • M.C.A. / M.Sc computer science or equivalent degree from a recognized university • Knowledge of typing in Hindi and English. • Two years working experience in state level's government office 	<p>For contract recruitment exam shall be conducted by PEB or</p> <p>On the basis of merit on marks obtained in prescribed educational qualification and experience by following selection committee -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commissioner Women Empowerment • Deputy Secretary / Under Secretary Women and Child Development Department • Joint Director/ Deputy Director Establishment • Financial Advisor • Representative from reserved class(if not in above)

			<p>Program Manager (Child Protection)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master degree in Sociology / Social work or in equivalent subject from a recognized university • Computer Diploma from Government recognized institute and typing knowledge in Hindi and English. • Two years working experience in field of child protection in a Government recognized agency / institution. 	
Programme Officer	21	40	<p>Program Officer (SARA)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master degree in Sociology / Social work or in equivalent subject from a recognized university • Computer diploma from government recognized institute and typing knowledge in Hindi and English. • One year working experience in field of adoption in a government recognized agency / institution. <p>Program Officer (MIS)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • B.E. Computer Science /B.C.A./ B.Tech. Computer 	

			<p>Science /B.Sc. Computer Science or post graduation degree in equivalent subject.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knowledge of typing in Hindi and English. • One year working experience in state level's government office <p>Program Officer (Training)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Post graduation degree from a recognized university • Knowledge of typing in Hindi and English. <p>Program Officer (IEC and advocacy)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Post graduate degree from a recognized university • Diploma in Mass Communication • Knowledge of typing in Hindi and English. <p>Program Officer (J.C.L.)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Law graduate from a recognized university • Knowledge of typing in Hindi and English. • One year working experience at state level government office 	
--	--	--	---	--

Account Officer	21	40	Post graduate degree in commerce from a recognized university
Programme Assistant	21	40	Program Assistant (Child Protection)- <ul style="list-style-type: none"> • Graduate from a recognized university with sociology. • Computer diploma from government recognized institute and typing knowledge in Hindi and English.
Account Assistant	21	40	Account Assistant - <ul style="list-style-type: none"> • Graduate from a recognized university in commerce. • Computer diploma from government recognized institute and typing knowledge in Hindi and English.
Accountant	21	40	<ul style="list-style-type: none"> • Graduate from a recognized university in commerce • Computer diploma from government recognized institute and typing knowledge in Hindi and English.
Assistant/ data entry operator	18	40	<ul style="list-style-type: none"> • Higher Secondary or 12th pass in 10+2 pattern • Computer diploma from one of the following recognized institution is

			mandatory - <ul style="list-style-type: none"> • Diploma from a U.G.C. recognized university. • Diploma from a U.G.C. recognized open university • Diploma level examination passed from DOEACC • Modern Office Management Diploma from Govt. polytechnic college. • Qualified in Hindi typing test from a government recognized institution. 	
Protection Officer (institutional care)	21	40	Master degree in Sociology / Social work or in psychology from a recognized university	For contract recruitment, exam shall be conducted by PEB or On the basis of merit on marks obtained in prescribed educational qualification and experience by following selection committee - <ul style="list-style-type: none"> • District Collector • District Women Empowerment Officer • District Coordinator Tribal welfare department • Treasury
Protection Officer (non-institutional care)	21	40	Master degree in Sociology / Social work or in psychology from a recognized university	
Legal-cum-Probation Officer	21	40	Law graduate from a recognized university (L.L.B.)	
Counselor	21	40	Master degree in Psychology from a recognized university	
Social worker	21	40	Master degree in Sociology / Social work or in psychology from a recognized university	
Accountant	21	40	Graduate from a recognized university in	

				commerce .	Officer /Account Officer
Data Analyst	21	40		<ul style="list-style-type: none"> • Graduate from a recognized university in commerce . • Computer diploma from one of the following recognized institution is mandatory - • Diploma from a U.G.C. recognized university. • Diploma from a U.G.C. recognized open university • Diploma level examination passed from DOEACC • Modern Office Management Diploma from Govt. polytechnic college. • Qualified in Hindi typing test from a government recognized institution. 	<ul style="list-style-type: none"> • Representative from reserved class(if not in above)
Assistant-cum-Data entry operator	18	40		<ul style="list-style-type: none"> • Higher Secondary or 12th pass in 10+2 pattern • Computer diploma from one of the following recognized institution is mandatory - • Diploma from a U.G.C. recognized university. • Diploma from a U.G.C. recognized 	

				open university • Diploma level from DOEACC examination passed • Modern Office Management Diploma from Govt. polytechnic college. Qualified in Hindi typing test from a government recognized institution.	
	Outreach Worker	18	40	• Graduate from a recognized university	do